

न्यायालय — पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.
(आप.प्र.क.क्रमांक :- 544 / 2013)
(संस्थित दिनांक :- 08 / 08 / 2013)

म.प्र. राज्य,

द्वारा आरक्षी केन्द्र :- गोहद चौराहा

जिला-भिण्ड, म.प्र.

..... अभियोजन।

// विरुद्ध //

01. सुभाष पुत्र मदन मोहन अग्रवाल उम्र 35 वर्ष
 निवासी :- स्टेशन रोड़ वार्ड क्रमांक 18 गोहद चौराहा,
 थाना-गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

..... अभियुक्त।

// निर्णय //

(आज दिनांक : 30 / 01 / 2017 को घोषित)

01. अभियुक्त सुभाष पर भा.द.सं. की धारा 504 एवं 324 के अन्तर्गत आरोप हैं कि आरोपी ने दिनांक :- 03 / 06 / 2013 को सुबह लगभग 11:00 बजे फतेपुर मील के सामने, फरियादी हाकिम को साशय अपमानित करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करे एवं फरियादी हाकिम की किसी धारदार या नुकीली वस्तु से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक : 03 / 06 / 2013 को सुबह लगभग 11:00 बजे फतेपुर मील के सामने, आरोपी सुभाष द्वारा फरियादी हाकिम की मारपीट करने एवं उससे गाली-गलौच करने की मौखिक रिपोर्ट फरियादी हाकिम जाटव द्वारा उसी दिनांक थाना गोहद चौराहा पर की जाने पर, थाना गोहद चौराहा में आरोपी के विरुद्ध पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना पंजीबद्ध की गई और फरियादी हाकिम का मेडीकल कराया गया। मेडीकल रिपोर्ट में आहत हाकिम के धारदार आयुध से चोट पहुँचाने का उल्लेख होने के कारण आरोपी के विरुद्ध थाना गोहद चौराहा में उसी दिनांक को आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 139 / 2013 अन्तर्गत धारा 323 एवं 324 भा.द.सं. पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। फरियादी हाकिम, साक्षीगण मदन मोहन एवं शिव चरन के कथन लेखबद्ध किये गये तथा विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04. अभियुक्त सुभाष के विरुद्ध धारा 324 एवं 504 भा.द.सं. का आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया। आरोपी का अभिवाक् अंकित किया गया।

05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उसका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उसने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से सारतः इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष होना तथा उसके द्वारा कोई अपराध कारित ना किया जाना व्यक्त किया एवं प्रतिरक्षा साक्षी उधम सिंह प्रति. सा.01 की प्रतिरक्षा साक्ष्य अंकित की गई है।

06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :-

01. क्या आरोपी सुभाष ने दिनांक :- 03/06/2013 को सुबह लगभग 11:00 बजे फतेपुर मील के सामने, फरियादी हाकिम को साशय अपमानित करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करे?

02. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर फरियादी हाकिम की किसी धारदार या नुकीली वस्तु से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की?

03. अंतिम निष्कर्ष?

सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष
विचारणीय बिन्दु क्रमांक :- 01 एवं 02

07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

08. इन विचारणीय बिन्दु के संबंध में फरियादी हाकिम अ.सा.01 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी सुभाष अग्रवाल को जानता है। साक्षी आगे कहता है कि उसने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 08/01/2015 से दो साल पूर्व एक किसान शिवचरन सिंह से आरोपी सुभाष को सरसों दिलाई थी, जिसके पैसे आरोपी को शिवचरन को देना थे। साक्षी आगे कहता है कि शिवचरन उक्त पैसे के लिए उसे आरोपी सुभाष की तेल मिल स्थित फतेहपुर ले गया था। फतेहपुर वह उसे वर्ष 2013 में ले गया था। जब उसने आरोपी सुभाष से शिवचरन को पैसे देने के लिए कहा तो वह उसे माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देने लगा और कहने लगा कि मैंने तो पहले ही पैसे दे दिए हैं। साक्षी आगे कहता है कि उक्त गाली-गलौच दिन में दो-तीन बजे हुई थी, जब उसने गाली देने से मना किया तो

आरोपी सुभाष ने उससे धक्का-मुक्की की तथा लोहे लगी लाठी से उसके हाथ पर प्रहार किया, जिससे उसके दाये हाथ की हथेली कट गई थी और उसमें पाँच टांके आए थे। साक्षी आगे कहता है कि उस समय उसके साथ शिवचरन और एक पंडित जी थे, जो आज न्यायालय में कथन देने आए हैं, जिनका नाम मनमोहन सिंह माटौलिया या मोहन सिंह माटौलिया है। साक्षी आगे कहता है कि घटना की रिपोर्ट उसने पुलिस थाना गोहद चौराहा में की थी, जो प्र.पी.01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका ईलाज शासकीय चिकित्सालय गोहद में हुआ था। पुलिस ने घटना के संबंध में उससे पूछताछ की थी।

09. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में फरियादी हाकिम अ.सा.01 ने घटना दिन में दो-तीन बजे की होना बताया है। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 08 में भी हाकिम अ.सा. 01 ने घटना दिन में दो-तीन बजे की होना दर्शित की है। जबकि स्वयं फरियादी/आहत हाकिम द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 में घटना का समय दोपहर के 11 बजे होने का उल्लेख कराया गया है। इस प्रकार घटना के समय के संबंध में फरियादी हाकिम अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है।

10. मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में फरियादी हाकिम अ.सा.01 का कहना है कि आरोपी सुभाष ने उससे धक्का-मुक्की की एवं लोहे लगी हुई लाठी से उसके हाथ पर प्रहार किया, जिससे उसकी दाहिने हाथ की हथेली कट गई, उसमें पाँच टांके आये थे। जबकि प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 03 में हाकिम अ.सा.01 का कहना है कि उसके बाये हाथ की हथेली में आरोपी ने चोट कारित की थी, ना कि दाहिने हाथ की हथेली में। उल्लेखनीय है कि कथित रूप से आहत हाकिम अ.सा.01 का दिनांक : 03/06/2013 को चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि आहत के दाहिने हाथ में सुपरफीशियल कटा हुआ घाव कारित हुआ था। इस प्रकार आहत हाकिम अ.सा.01 को चोट दाहिने हाथ में आई थी, अथवा बाये हाथ में, इस वावत् स्वयं हाकिम के मुख्य परीक्षण एवं प्रति-परीक्षण के तथ्यों के मध्य विरोधाभास है, साथ ही इस वावत् हाकिम अ.सा.01 तथा उसका चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉक्टर धीरज गुप्ता अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य विरोधाभास है, जो कि गंभीर प्रकृति का है। उल्लेखनीय है कि हाकिम अ.सा.01 का उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में कहना है कि आरोपी सुभाष द्वारा चोट कारित करने से उसके दाहिने हाथ की हथेली में कट जाने से पाँच टांके आये थे। जबकि उसका चिकित्सीय परीक्षण करने वाले डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.03 का उनके मुख्य परीक्षण के द्वितीय पद में कहना है कि आहत हाकिम को एक सुपरफीशियल अर्थात् सतही कटा हुआ घाव कारित हुआ था। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.03 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह नहीं बताया कि आहत हाकिम को ऐसी कोई चोट कारित हुई थी, जिस पर टांके लगाये जाने की आवश्यकता

थी। डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.03 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह भी नहीं बताया है कि उनके द्वारा आहत हाकिम अ.सा.01 की हथेली में पाँच टांके लगाये गये थे। आहत हाकिम अ.सा.01 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह नहीं बताया है कि उसकी हथेली में पाँच टांके किस डॉक्टर के द्वारा और कब लगाये गये थे। इस प्रकार आहत हाकिम अ.सा.01 द्वारा दर्शित यह तथ्य कि आरोपी सुभाष द्वारा कारित उसकी हथेली की चोट में पाँच टांके लगाने पड़े थे, सत्य प्रतीत नहीं होता है।

11. हाकिम अ.सा.01 ने उसके मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 01 में यह दर्शित किया है कि आरोपी सुभाष ने उसके हाथ पर लोह लगी लाठी से प्रहार किया था। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 06 में हाकिम अ.सा.01 का कहना है कि उसे यह ध्यान नहीं है कि उसने पुलिस को यह बताया था, अथवा नहीं कि आरोपी सुभाष ने उसे जिस लकड़ी से मारा था, उसमें लोहे का टुकड़ा लगा था, अथवा नहीं। साक्षी का तत्पश्चात् कहना है कि उसने पुलिस को बता दिया था कि लकड़ी में लोहे का छल्ला लगा था और यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। इसी प्रकार प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में हाकिम अ.सा.01 का कहना है कि यदि उसकी पुलिस रिपोर्ट अर्थात् पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 में उक्त लकड़ी में लोहे का छल्ला लगे होने की बात ना लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। उल्लेखनीय है कि हाकिम अ.सा.01 के द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01 में, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 में या उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 में कहीं पर भी आरोपी सुभाष द्वारा लोहे का छल्ला लगी लकड़ी या लाठी से आहत हाकिम को चोट पहुँचाये जाने का उल्लेख नहीं है, बल्कि उक्त तीनों दस्तावेजों में बबूल के डण्डे से चोट पहुँचाये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार आरोपित कृत्य में इस्तमाल किये गये हथियार की प्रकृति के संबंध में फरियादी हाकिम अ.सा.01 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य, उसके द्वारा लेखबद्ध कराई गई पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना प्र.पी.01, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 एवं उसके पुलिस कथन प्र.डी.01 के तथ्यों के मध्य गंभीर विरोधाभास है, जो कि अभियोजन कथा को गंभीर रूप से संदेहास्पद बनाता है। इस प्रकार आरोपित अपराध के संबंध में आहत हाकिम अ.सा.01 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य घटना के समय, कारित चोट की प्रकृति एवं घटना में प्रयुक्त आयुध के प्रकार के संबंध में अत्यंत विरोधाभासयुक्त होने के कारण संदेहास्पद है।

12. साक्षी शिवचरन सिंह अ.सा.06 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी सुभाष अग्रवाल को जानता है। साक्षी आगे कहता है कि घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 04/04/2016 से लगभग तीन साल पहले की होकर दोपहर लगभग 12 बजे की है। उसने अपनी सरसों की फसल सुभाष को हाकिम दलाल के माध्यम से करीबन 01 लाख 20 हजार रुपये की बेची थी। साक्षी आगे कहता है कि 01 लाख 20 हजार रुपये में से 50 हजार रुपये उसे हाकिम ने उसे दे दिये थे और शेष 80 हजार रुपये हाकिम ने उसे नहीं दिये थे। साक्षी आगे कहता है

कि जब उसने दलाल हाकिम से अपने शेष 80 हजार रुपये मांगे तो उसने उसने कहा कि सुभाष ने अभी उसे रुपये नहीं दिये हैं, चलो सुभाष से चलकर दिला देता हूँ और वह उसे सुभाष के पास ले गया। साक्षी आगे कहता है कि जब उसने सुभाष से कहा कि उसके शेष रुपये दो, तो सुभाष ने कहा कि मैं सरसों के पूरे रुपये हाकिम को अदा कर चुका हूँ, तुम हाकिम से रुपये मांगो। उसी समय हाकिम ने कहा कि सुभाष ने उसे कोई रुपये नहीं दिये हैं। इस बात पर हाकिम एवं सुभाष में तू-तू, मैं-मैं एवं झगड़ा हो गया। साक्षी आगे कहता है कि उक्त तू-तू, मैं-मैं पर से सुभाष ने एक लाठी हाकिम के दाहिने हाथ में मारी और एक लाठी सिर में मारी, जिससे हाकिम को खून निकल आया, फिर उसने दोनों के मध्य बीच-बचाव किया। साक्षी आगे कहता है कि तत्पश्चात् हाकिम ने घटना की रिपोर्ट गोहद चौराहा थाने में की थी, रिपोर्ट करने वह हाकिम के साथ नहीं गया था। इसके अलावा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने इस वावत् उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी ने स्वतः कहा कि आज तक उसका शेष पैसा उसे नहीं मिला है।

13. अभियोजन कथा के अनुसार घटना दिनांक : 03/06/2013 के दोपहर 11:00 बजे की है। फरियादी हाकिम अ.सा.01 के अनुसार घटना दोपहर 02-03 बजे की है। जबकि साक्षी शिवचरन अ.सा.06 के अनुसार घटना दोपहर 12 बजे की है। इस प्रकार घटना के समय के संबंध में हाकिम अ.सा.01 एवं शिवचरन अ.सा.02 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य दो-तीन घण्टे का अन्तर होने के कारण गंभीर विरोधाभास है। इसी प्रकार आहत हाकिम अ.सा.01 आरोपी सुभाष द्वारा लाठी से उसके हाथ पर केवल एक प्रहार करना बता रहा है, उसके शरीर पर कोई अन्य लाठी की चोट आरोपी द्वारा कारित करना नहीं बता रहा है, जबकि साक्षी शिवचरन अ.सा.06 आरोपी सुभाष द्वारा आहत हाकिम के दाहिने हाथ एवं सिर में लाठी का प्रहार करना बता रहा है। चिकित्सीय परीक्षण करने वाला डॉक्टर धीरज गुप्ता अ.सा.03 आहत हाकिम के शरीर पर केवल एक चोट होना और वह भी दाहिने हाथ में होना दर्शित कर रहा है। इस प्रकार आहत हाकिम अ.सा.01 के शरीर में घटना के दिन आरोपी द्वारा कितनी चोटें कारित की गई थी, इस वावत् हाकिम अ.सा.01, डॉ.धीरज गुप्ता अ.सा.03 तथा शिवचरन अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य गंभीर विरोधाभास है। इसलिए शिवचरन अ.सा.06 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कोई लाभ अभियोजन को प्रदान नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी सुभाष से घटना में प्रयुक्त कोई लाठी या कोई अन्य आयुध जब्त नहीं किया गया है।

14. अभियोजन साक्षी मदन मोहन अ.सा.02 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 08/01/2015 से दो तीन वर्ष पूर्व आरोपी एवं फरियादी हाकिम के मध्य तू-तू, मैं-मैं होने का तथ्य बताया है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी मदन मोहन अ.सा.02 ने आरोपी सुभाष द्वारा आहत हाकिम से गाली-गलौच करने या लाठी से उसकी मारपीट करने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।

15. प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक गोप सिंह अ.सा.05 ने पुलिस हस्तक्षेप अयोग्य अपराध की सूचना एवं आहत हाकिम की मेडीकल रिपोर्ट प्राप्त होने के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.06 लेखबद्ध करने का तथ्य उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में बताया है और इस वावत् उसका न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत सारतः अखण्डित रहा है और इसी प्रकार प्रधान आरक्षक ब्रजराज अ.सा.04 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में उसे अपराध क्रमांक 139/13 अन्तर्गत धारा 323/34 की विवेचना के दौरान फरियादी हाकिम की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र. पी.02 बनाना, फरियादी हाकिम सिंह, साक्षीगण शिवचरन, मदन मोहन के बताये अनुसार उनके कथन लेखबद्ध किया जाना एवं दिनांक : 04/06/2013 को आरोपी सुभाष अग्रवाल को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.05 बनाया जाना दर्शित किया है। इस वावत् ब्रजराज अ.सा.04 का न्यायालयीन अभिसाक्ष्य प्रति-परीक्षण उपरांत सारतः अखण्डित रहा है।

16. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी सुभाष ने दिनांक :- 03/06/2013 को सुबह लगभग 11:00 बजे फतेपुर मील के सामने, फरियादी हाकिम को साशय अपमानित करने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए प्रकोपित किया कि वह ऐसे प्रकोपन से या तो लोक शांति भंग करे या अन्य अपराध कारित करे एवं फरियादी हाकिम की किसी धारदार या नुकीली वस्तु से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की।

अंतिम निष्कर्ष

17. उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन आरोपी सुभाष के विरुद्ध धारा 504 एवं 324 भा.द.सं. के आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपी सुभाष को धारा 504 एवं 324 भा.द.सं. के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

18. आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। जमानतदार को स्वतंत्र किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित।
एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद